

लिप्ता०

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवाली योजना के अन्तर्गत

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 4 में
स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्टिल्ट+10. मंजिले भवन प्राप्त करने का

स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण अवधि दिनांक 04-04-2015 से 05-05-2015 तक
(लिफ्ट सुविधायुक्त किया जायेगा)

सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट की श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग मी. में)	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फिट में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि	
					पंजीकरण धनराशि 10% (लाख रुपये में)	* आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)
1बी.एच.के.	400	52	538	15.15	1.52	0.76
2बी.एच.के. टाईप बी	300	70	753	20.40	2.04	1.02
2बी.एच.के. टाईप ए	100	80	861	23.30	2.33	1.17

- * आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु.जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, रक्तन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सेनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग वर्गों) के किश्ती आवेदकों को मूल्य का 5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा शेष आवेदकों को मूल्य का 10% प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- लाटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत दिनांक से । माह की अवधि के अन्दर मूल्य का 10% प्रतिशत आवंटन धनराशि तथा फ्लैट की शेष धनराशि रख़ : वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष की वित्त व्याज की 8 तिमाही रामान किश्तों में जमा करनी होगी। विलम्ब अवधि के लिए 20% प्रतिशत तार्किक दर से चक्रवृद्धि व्याज देय होगा।
- तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल व मूल्य अनुमानित है जो घट/वढ़ सकती है।
- लिफ्ट का प्राविधिक होने के कारण सभी तलों पर फ्लैट्स का मूल्य एक रामान रखा गया है।
- आरक्षण :— आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण रखरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 04-04-2015 से 05-05-2015 तक निर्धारित धनराशि रूपये 500/- के भुगतान पर एच.डी.एफ.सी. बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में प्राप्त की जा सकती हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके इन्हीं बैंकों में उक्त तिथि तक जमा की जा सकती है।

एच.डी.एफ.सी. बैंक — (1) 171/1, सूर्योदय प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ मो.नं. 09358214343 (2) 381, ऐस्टर्न कच्चरी रोड, मेरठ (3) शील पेलेस दिल्ली रोड, मेरठ (4) 6, रोयल प्लाजा, रुड़की रोड, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी.एफ. 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, जी.सी.एम. बिल्डिंग वारहा खाना रोड, नई दिल्ली-110001 (6) जी-118, रोक्टर 26, नोएडा (7) आर.डी.सी. सेन्टर, राजनगर, गणियावाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, हांपुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बांगपत, शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री श्रीमेश कुमार, मो.न. 09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहित उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेगे।

प्राधिकरण की वेबसाइट (www.mdameerut.org.in) पर उपरोक्त योजनाओं की विवरण पुस्तिकार्ये उपलब्ध है। उपयोग में लाने पर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट अलग से पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा।

- योजना से सम्बन्धित अन्य विवरण/जानकारी योजना प्रभारी से (दूरभाष सं. 01212648598) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- फ्लैट्स का पंजीकरण किसी सम्पत्ति/तला विशेष के लिये मान्य नहीं होगा। सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त सभी तलों का फ्लैट्स का आवंटन एक साथ लाटरी ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। लाटरी ड्रा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा।

सविव

उपाध्यक्ष

- सुनियोगित विकास प्राधिकरण के साथ -